प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0प0/सिस्टम सेल/397 दिनांकः 29 जुलाई, 2025

विषयः परिषद की वेबसाइट **upmsp.edu.in** पर अग्रसारण केन्द्र की सूचना दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या 995/15–7–25 दिनांक 29 जुलाई, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने हेतु अग्रसारण केन्द्र निर्धारण के लिए नीति का निर्धारण किया गया है।

तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार अग्रसारण केन्द्र निर्धारित कर परिषद की वेबसाइट **upmsp.edu.in** पर जनपद लॉगइन के माध्यम से दिये गये लिंक पर अग्रसारण केन्द्र की सूचना दो दिवस के भीतर दर्ज करना सुनिश्चित करें जिससे व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षा आवेदन ऑनलाइन भराये जाने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(भगवती सिंह)
सचिव।

पृ0सं0: मा0शि0प0/सिस्टम सेल/ 397 (1–5) दिनांकः 29 जुलाई, 2025

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1– विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
5– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर।

(भगवती सिंह)
सचिव।

समयबद्ध
संख्या- 995 /15-7-2025

प्रेषक,

कृष्ण कुमार गुप्त,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उ०प्र० प्रयागराज।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 29 जुलाई, 2025

विषय- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित वर्ष-2026 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए व्यक्तिगत परीक्षाओं के आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने हेतु पंजीकरण/अग्रसारण परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण हेतु नीति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकःमा०शि०प०/केन्द्रस्थापना/सोलह/144 दिनांक 25.06.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित वर्ष-2026 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए व्यक्तिगत परीक्षाओं के आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने हेतु पंजीकरण/अग्रसारण परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाईन प्रक्रिया से कराये जाने हेतु पूर्व में निर्गत विभिन्न शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नवीन/संशोधित नीति/मानकों को निर्गत किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2- उक्त पत्र दिनांक 25.06.2025 में अगवत कराया गया है कि परिषद द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने हेतु पंजीकरण/अग्रसारण केन्द्र निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में गत वर्षों में शासनादेश संख्या-4626/15-7-1(3)/1990 दिनांक 26 जुलाई, 2001 यथाआवश्यक समयान्तर्गत विविध संशोधनोपरान्त जारी किये गये शासनादेश संख्या-1338/15-7-11-1(33)/2011 दिनांक 11 अगस्त, 2011, शासनादेश संख्या-1410/15-7-2013-1(18)/2013 दिनांक 30 अगस्त, 2013, शासनादेश संख्या-999/15-7-2016-1(33)/2011-टी०सी० दिनांक 26 जुलाई, 2016 तथा शासनादेश संख्या-1168/15-7-2017-1(33)/2011-टी०सी० दिनांक 09 अगस्त, 2017 द्वारा नीति/मानक निर्गत किये गये हैं।

3- अतः आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25.06.2025 द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित वर्ष-2026 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए व्यक्तिगत परीक्षाओं के आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने हेतु पंजीकरण/अग्रसारण परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाईन प्रक्रिया से कराये जाने हेतु पूर्व में निर्गत उपर्युक्त प्रस्तर - 2 में वर्णित शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए वर्ष-2026 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं हेतु व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये आवेदन पत्रों की उपलब्धता तथा पंजीकरण/अग्रसारण केन्द्र निर्धारण के निमित्त वर्तमान स्थिति के अनुसार निम्नवत् नवीन नीति / मानक निर्धारित की जाती हैः-

1- विगत वर्षों की भांति ही वर्तमान शैक्षिक सत्र में भी कक्षा 10 एवं 12 में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के पंजीकरण ऑनलाइन विधि से कराया जाय।

2- परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए केवल राजकीय विद्यालयों को ही अग्रसारण केन्द्र बनाया जाय, जिनमें पर्याप्त संख्या में अनुभवी प्रवक्ता एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ उपलब्ध हो।

3- व्यक्तिगत परीक्षार्थियो के शैक्षिक विवरणों को ऑनलाइन कराये जाने एवं उनके शैक्षिक विवरणों को प्राप्त करने तथा निर्धारित प्रारूप पर परीक्षा आवेदन पत्र सुलभ कराये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परिषद की वेबवाइट www.upmsp.edu.in पर तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा तहसील स्तर पर तथा ब्लाक स्तर पर उपलब्ध कराया जाय तथा समाचार पत्रों के माध्यम से इसे जनसाधारण की जानकारी में लाया जाय, जिससे आवेदन पत्र उपलब्ध होने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। आवेदन पत्र का प्रारूप जिलाधिकारी कार्यालय तथा जिला विद्यालय निरीक्षक

कार्यालय, तहसील व खण्ड विकास अधिकारी कार्ययालय के सूचना पट पर चस्पा किया जाय तथा आवश्यकता पडने पर दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया जाय। सम्बन्धित अग्रसारण केन्द्रों को यह भी निर्देश दे दिये जाय कि आवेदन पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसकी फोटो प्रति अथवा वेबसाइट से डाउनलोड की गयी प्रति भी स्वीकार की जाय।

4- जिन राजकीय विद्यालयों में विगत वर्षों की परीक्षाओं में सामूहिक नकल होने अथवा अन्य अनियमिततायें की जाने की शिकायतें रही हो, जो परिषद द्वारा पंजीकरण केन्द्र बनाये जाने से वंचित किये गये हों अथवा विगत तीन वर्ष की परीक्षा के दौरान जिन केन्द्रों पर हिंसात्मक घटनायें हुई हों अथवा अन्य अनियमितताओं के कारण पुनः परीक्षायें सम्पादित करानी पड़ी हों अथवा ऐसे विद्यालय जहां से अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र अग्रसारित किये गये हों अथवा अमान्य वर्ग/विषय के संस्थागत छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र अग्रसारित किये गये हो अथवा ऐसे विद्यालय जहां से नीति/निर्देश के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रसारित किये गये हों, और इन आधारों पर उन्हें परिषद/शासन द्वारा डिबार किये गये हो उनको छोड़कर जनपद के सभी तहसील तथा ब्लाक स्तर के राजकीय विद्यालयों को आवश्यकतानुसार पंजीकरण/अग्रसारण केन्द्र बनाया जाय।

5- प्रत्येक अग्रसारण केन्द्र पर हाईस्कूल के 500 छात्र/छात्रा एवं इण्टरमीडिएट के 700 छात्र/छात्रा, कुल 1200 की अधिकतम् सीमा तक अग्रसारण किया जाय। अपरिहार्य स्थितियों में जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के आधार पर मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से अनुमति के उपरान्त हाईस्कूल के अधिकतम् 650 तथा इण्टरमीडिएट के अधिकतम् 850 की सीमा तक छात्र/छात्राओं के आवेदन अग्रसारित किये जा सकते हैं।

6- जिन राजकीय विद्यालयों को इण्टरमीडिएट का पत्राचार पंजीकरण केन्द्र बनाया गया है उन विद्यालयों को पत्राचार व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से इतर सामान्य व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का अग्रसारण केन्द्र न बनाया जाय।

7- पत्राचार के अग्रसारण केन्द्र बने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को हाईस्कूल के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का अग्रसारण केन्द्र बनाया जा सकता है।

8- इण्टरमीडिएट पत्राचार पंजीकरण के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की अग्रसारण की अधिकतम् सीमा 800 तक निर्धारित की जाय, जबकि पत्राचार से इतर इण्टरमीडिएट के सामान्य व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की अग्रसारण की सीमा पूर्ववत् 400 तक ही निर्धारित की जायेगी।

9- प्रत्येक पंजीकरण/अग्रसारण केन्द्र द्वारा निर्धारित सीमा तक ही व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदनपत्र ऑनलाइन अग्रसारित किये जायेंगे। यदि किसी प्रधानाचार्य/अग्रसारण अधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन पत्र अग्रसारित किया जायेगा तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही करने हेतु उनके नियुक्ति प्राधिकारी को प्रकरण संदर्भित कर दिया जायेगा।

10- पंजीकरण/अग्रसारण केन्द्रों को माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सीधे कोई परीक्षा आवेदन पत्र नही दिये जायेंगे और न ही परिषद द्वारा सीधे कोई आवेदन पत्र पंजीकरण/अग्रसारण केन्द्र से या अन्य किसी से स्वीकार किये जायेंगे।

11- प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी/विदेशी नागरिकों एवं अन्य बोर्डो से आये अभ्यर्थियों के पंजीकरण की व्यवस्था केवल जनपद मुख्यालय पर राजकीय विद्यालयों में ही की जाय। इस हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक आवश्यकतानुसार दो या तीन राजकीय विद्यालयों को पंजीकरण केन्द्र बना सकते है।

12- प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी/विदेशी नागरिकों को व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परिषद परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति तभी दी जाय, जब वे प्रदेश में दो वर्ष निवास करने का प्रमाण पत्र परीक्षा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें। यह नियम अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों तथा कश्मीरी विस्थापितों/प्रवासी कश्मीरियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

13- इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले निम्नलिखित क्रम 01 से 04 तक श्रेणी के परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के परीक्षार्थियों को पत्राचार शिक्षण हेतु अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पत्राचार शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीकरण कराने वाले परीक्षार्थियों का परीक्षा आवेदन पत्र पत्राचार शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा निर्धारित पत्राचार पंजीकरण केन्द्र द्वारा ही अग्रसारित किये जायेंगें। निम्नांकित क्रम 01 से 04 तक की श्रेणी के परीक्षार्थियों के व्यक्तिगत परीक्षा के आवेदन पत्र जनपद/ब्लाक अथवा तहसील मुख्यालय पर निर्धारित किये गये अग्रसारण केन्द्र राजकीय विद्यालय द्वारा ही अग्रसारित किये जायेगें-

1-विगत वर्षों मे इण्टरमीडिएट परीक्षा मे अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।

2-माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के नियम संग्रह के अध्याय-12 के विनियम-17 के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय/विषयों के परीक्षार्थी।

3-दिव्यांग/शारीरिक रूप से अक्षम परीक्षार्थी।

4-भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत परीक्षार्थी।

14- अन्य सामान्य परीक्षार्थी (प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी/विदेशी नागरिकों/अन्य बोर्डो के अभ्यर्थियों तथा पत्राचार शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीकृत इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के अतिरिक्त) अपना आवेदन पत्र जनपद के किसी भी पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते हैं।

15- जिला मुख्यालय पर व्यक्तिगत बालक परीक्षार्थियों तथा बालिका परीक्षार्थियों के लिए यथासम्भव अलग-अलग राजकीय विद्यालयों को पंजीकरण केन्द्र बनाये जायं। ग्रामीण अंचलों में स्थित राजकीय विद्यालयों को बालक/बालिकाओं के लिए मिश्रित पंजीकरण केन्द्र बनाये जा सकते है।

16- पंजीकरण केन्द्रों के अग्रसारण अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों से यह अनुबन्ध पत्र ले लेने के उपरान्त ही उनके आवेदन पत्र अग्रसारित करें कि उसने (छात्र/छात्रा ने) अन्य किसी भी विद्यालय या पंजीकरण केन्द्र से सम्बन्धित परीक्षा के लिये संस्थागत या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में आवेदन पत्र नहीं भरा है।

17- अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी जनपद मुख्यालय के राजकीय इण्टर कालेज या राजकीय बालिका इण्टर कालेज से जैसी भी स्थिति हो आवेदन पत्र प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। जिन जनपदों में मुख्यालय स्तर पर राजकीय विद्यालय नहीं हैं, वहां पर अभ्यर्थी मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अनुमति से बनाये गये अग्रसारण/पंजीकरण केन्द्रों पर आवेदन पत्र जमा/अग्रसारित करायेगें।

18- वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप निम्नांकित श्रेणी के छात्र/छात्रा सम्मिलित हो सकते हैः-

<u>हाईस्कूल व्यक्तिगत परीक्षा</u>-

वेबसाइट पर प्रदर्शित

परीक्षार्थी श्रेणी **विवरण**

2ए- माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे छात्र/छात्रा।

2बी- क्रेडिट सिस्टम के छात्र/छात्रा।

3 - माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन कक्षा9 में अग्रिम पंजीकृत उत्तीर्ण छात्र/छात्रा।

4ए- माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज से समकक्षता प्राप्त/विधि द्वारा स्थापित देश के अन्य शिक्षा बोर्डो से कक्षा-9 उत्तीर्ण छात्र/छात्रा।

4बी- माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज से समकक्षता प्राप्त/विधि द्वारा स्थापित देश के अन्य शिक्षा बोर्डो से हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे छात्र/छात्रा।

5 - पूर्व में हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके वे छात्र/छात्रा जो परिषद विनियम के अन्तर्गत उत्तीर्ण कर चुके विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों (एक साथ अधिकतम् 5 विषयों) में सम्मिलित होना चाहते हैं।

6- कारागार में निरूद्ध बन्दी न्यूनतम् कक्षा-8 उत्तीर्ण छात्र/छात्रा।

7- भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत न्यूनतम् कक्षा8 उत्तीर्ण सैन्यकर्मी।

8 - कक्षा-8 उत्तीर्ण करने के पश्चात आई०टी०आई० उत्तीर्ण छात्र/छात्रा जो हाईस्कूल की समकक्षता प्राप्त करने हेतु विनियम के अन्तर्गत केवल हिन्दी विषय से हाईस्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते है।

<u>इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा-</u>

<u>वेबसाइट पर प्रदर्शित</u>

परीक्षार्थी श्रेणी **विवरण**

2- माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे छात्र/छात्रा।

3 - माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज से समकक्षता प्राप्त देश के अन्य शिक्षा बोर्डो द्वारा कक्षा-11 में अग्रिम पंजीकरण कराये हुए कक्षा-11 उत्तीर्ण छात्र/छात्रा जिन्होंने कक्षा-12 हेतु जुलाई/अगस्त 2025 में एक वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम में पंजीकरण कराकर पत्राचार अनुसरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है।

4ए- जुलाई/अगस्त 2024 में कक्षा-11 एवं कक्षा 12 हेतु दो वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम में पंजीकरण कराकर पत्राचार अनुसरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके छात्र/छात्रा।

4बी- माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज से समकक्षता प्राप्त/विधि द्वारा स्थापित देश के अन्य शिक्षा बोर्डो से इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे छात्र/छात्रा।

5- पूर्व में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके वे छात्र/छात्रा जो परिषद विनियम के अन्तर्गत उत्तीर्ण कर चुके विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों(एक साथ अधिकतम् 4 - विषयों) में सम्मिलित होना चाहते हैं।

6- कारागार में निरूद्ध बन्दी न्यूनतम् कक्षा-10 उत्तीर्ण छात्र/छात्रा।

7- भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत न्यूनतम् कक्षा10 उत्तीर्ण सैन्यकर्मी।

8 - कक्षा-10 उत्तीर्ण करने के पश्चात आई०टी०आई० उत्तीर्ण छात्र/छात्रा जो इण्टरमीडिएट की समकक्षता प्राप्त करने हेतु विनियम के अन्तर्गत केवल हिन्दी विषय से इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते है।

19- वर्ष 2026 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्तिगत अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न किये गये अर्हता सम्बन्धी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जॉच/सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा।

20- जिला विद्यालय निरीक्षकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि जनपद के सभी अग्रसारण केन्द्रों पर आवेदन पत्र ऑनलाइन कराये जाने से पूर्व संकलित हुये समस्त आवेदन पत्रों एवं उनके अर्हता प्रमाणपत्रों की विधिवत जॉच करा लें, जिससे एक भी अनर्ह छात्र/छात्रा के आवेदन पत्र ऑनलाइन अग्रसारित न होने पाये।

21- आवेदन पत्रों एवं अर्हता प्रमाण पत्रों की जॉच हेतु जनपद के समस्त अग्रसारण केन्द्रों से इन्हें मंगाकर किसी राजकीय विद्यालय में जनपदीय अधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रधानाचार्यो की टीम गठित कर इनकी विधिवत जॉच करायी जा सकती है अथवा प्रत्येक अग्रसारण केन्द्र पर जॉच टीम भेजकर जॉच करायी जा सकती है। जॉचोपरान्त जो आवेदन पत्र अनर्ह पाये जाये उन्हें जॉच टीम द्वारा अविलम्ब निरस्त करते हुये सम्बन्धित अग्रसारण केन्द्र के प्रधानाचार्य को सूचित कर दिया जाय। इसके साथ ही ऐसे अनर्ह छात्र/छात्राओं के विवरण यदि त्रुटिवश परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिये गये हों तो उन्हें अविलम्ब डिलीट करा दिया जाय।

22- प्रत्येक अग्रसारण केन्द्र के प्रधानाचार्य/अग्रसारण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वर्ष 2026 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए उपर्युक्त समस्त श्रेणी के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदनपत्र के साथ वांछित अर्हता सम्बन्धी संलग्न मूल अभिलेखों का भली-भाँति परीक्षण/जॉच करने के उपरान्त ही अर्ह परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों को अग्रसारित किया जाय, तथा वाह्य प्रदेशों/बोर्डो के जो छात्र/छात्रा आवेदन कर रहे हैं उनका परिषद के विनियम के अनुसार उ०प्र० में कम से कम दो वर्ष का निवास होने सम्बन्धी निवास प्रमाण भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न कराये जायें।

23- प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों की अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्रों की विशेष रूप से जॉच कराये जाने हेतु उनके अर्हता प्रमाणपत्रों का परीक्षण सम्बन्धित बोर्डो/संस्थाओं की बेवसाइट से ऑनलाइन जाँच करा लें, जिनके अर्हता प्रपत्रों की ऑनलाइन जॉच/सत्यापन करने में कठिनाई हो उन्हें सम्बन्धित संस्था को भेजकर ऑफलाइन सत्यापित करा लिया जाय। अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर ऐसे परीक्षार्थियों का परिक्षार्थित्व निरस्त करने की कार्यवाही की जाय। किसी भी दशा में अनर्ह परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जाय और न ही उन्हें परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। अन्यथा की स्थिति में अनर्ह परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रसारित करने वाले सम्बन्धित अग्रसारण केन्द्र के प्रधानाचार्य का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्धारित होगा, और उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

24- अग्रसारण अधिकारी/प्रधानाचार्य द्वारा अर्ह ऑनलाइन आवेदन पत्र को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में समयानुसार जमा कराकर सूची सहित प्राप्ति रसीद ली जायेगी और उसको 06 वर्षो तक सुरक्षित रखा जायेगा।

25- जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा अग्रसारण अधिकारी/प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराये गये अर्ह व्यक्तिगत आवेदन पत्रों को ससमय क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराकर उसकी प्राप्ति रसीद सूची सहित ली जायेगी और उसको 06 वर्षों तक सुरक्षित रखा जायेगा।

26- व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के जो आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित किये जायें उनका शतप्रतिशत मिलान ऑनलाइन से डाउनलोड की गयी नामावली से अवश्य करा लिया जाय, तथा इसे क्षेत्रीय कार्यालयों को प्राप्त कराने की विधिवत प्राप्ति रसीद भी लेकर उसे 06 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाय। क्षेत्रीय कार्यालय का यह दायित्व होगा कि अर्ह अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन कराये जायें। किसी भी अनर्ह अभ्यर्थी के आवेदन पत्र ऑनलाइन कराये जाने की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्रीय सचिव जिम्मेदार होगें।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

भवदीय
Digitally signed by KRISHNA KUMAR GUPTA
Date: 29-07-2025 14:45:19
(कृष्ण कुमार गुप्त)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त जिलाधिकारी, उ० प्र०।
2- शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उ० प्र० प्रयागराज /लखनऊ
3- समस्त क्षेत्रीय अपर सचिव , माध्यमिक शिक्षा परिषद्(बरेली/वाराणसी/मेरठ/प्रयागराज)
4- समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ० प्र0 ।
5- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ० प्र०।

आज्ञा से,

(संजय कुमार)
उप सचिव।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 29-07-2025
15:42:15